

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनाम चाकड

केस संख्या 81/20

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/4/24	<p>पत्तावली पेश हुई वकील शर्मा वकील शर्मा को लांचकाल 6pm तक बार-बार आवाज लगाने से बाकसद हाजिर अदालत नहीं आए। न ही शर्मा की ओर से अन्य कोई प्रैक्टी करने हेतु हाजिर अदालत आए। अतः डा. पट्ट अदम धरने एवं अदम प्रैक्टी में खारिज किया गया है। पत्तावली बाद तहसील प्रत्येक कर दो।</p> <p>36</p> <p>उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, बाकसू (जयपुर)</p>